न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 2819/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1137/2026

CNR No. UPGZ010062522026

मौ० आर्यन डार पुत्र हुसैन डार निवासी हिरानकी उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला दिल्ली।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 161/2026

धारा 318(4),352,351(3) BNS

थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

22-06-2026

1- यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **मौ० आर्यन डार** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3- अभियोजन केस के अनुसार वादी ने एक प्लॉट रकबा 100 वर्गगज खसरा संख्या 375 फेस-3 रेखा गार्डन लुत्फुल्लापुर नवाद परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद को विक्रेता मौ० आर्यन डार से कुल अंकन दस लाख रूपये में खरीदना तय किया था जिसमें से वादी ने अंकन 6,45,000/-रूपये दिनांक 02-07-2025 को विक्रेता को दे दिये थे तथा बाकी धनराशि देने का समय दिनांक 02-05-2025 को विक्रेता को दे दिये थे तथा बाकी धनराशि देने का समय दिनांक 02-05-2026 तक तय किया था। इसके बाद वादी ने विक्रेतास को अंकन 1,05,000/-रूपये दिये। इस प्रकार वादी ने विक्रेता मौ० आर्यन डार को कुल अंकन 7,50,000/-रूपये दे दिये थे। इसके बाद वादी ने उक्त विक्रेता से बाकी धनराशि देने और उक्त प्लॉट का बैनामा अपने नाम कराने के लिये कहा तो विक्रेता वादी को आज कल करता रहा। अब उक्त विक्रेता वादी को कहता है कि वह इस खसरे में प्लॉट नहीं देगा। दूसरे खसरे में प्लॉट लेना पडेगा जिसका रेट बहुत ज्यादा हैं। वादी के साथ धोखाधडी कर उक्त धनराशि हडप ली गयी हैं और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

Digitally signed by LALITA GUPTA
Date: 2026.06.24 10:07:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। अभियुक्त के विरूद्ध घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी हैं, परन्तु विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया हैं। अभियुक्त से वादी प्लॉट खरीदना चाहता और जिसकी मात्र केवल टोकन मनी दी गयी थी। वादी द्वारा रूपये इंतजाम न होने के कारण प्लॉट नहीं खरीद सका। अभियुक्त ने वादी के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधडी नहीं की हैं। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार हैं। इस स्तर पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा से धोखे से धनराशि प्राप्त कर उसे प्रश्नगत सम्पत्ति का बैनामा नहीं किया गया और उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया।

6– मैने, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को प्रश्नगत प्लॉट को विक्रय किये जाने हेतु अंकन 7,50,000/–रूपये नगद व ऑनलाइन प्राप्त करके प्रश्नगत प्लॉट का बैनामा नहीं किया गया और उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया जाना अभिकथित किया हैं। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान धारा 161 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा गया कि अभियुक्त ने उसे खसरा संख्या 375 में 100 वर्गगज भूमि को विक्रय करने हेतु तय करके अंकन 7,50,000/–रूपये प्राप्त कर लिये और प्रश्नगत सम्पत्ति का बैनामा न करके उसके साथ धोखाधडी कर गाली गलौज दी गयी और जान से मारने की धमकी दिया जाना कहा गया हैं। विवेचना अभी प्रचलित हैं और साक्ष्य का संकलित किया जाना अवशेष है। ऐसी दशा में अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं।

8– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत को स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मौ० आर्यन डार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता हैं।

दिनांकः 22–06–2026

(ललिता गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।